COURT FEE 20 रु. Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

112

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

नि. 3462/II/15

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

साहिब सिंह पुत्र रामप्रसाद
निवासी– ग्राम सलैया तहसील लवकुश
नगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)
––आवेदक

श्री...
द्वारा आज दि...............................को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

सियाराम पुत्र श्री राजाराम यादव
निवासी– ग्राम सलैया तहसील लवकुश
नगर जिला – छतरपुर (म.प्र.)
–– अनावेदक

8
23.10.15
23.10.15

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 188/स्व.प्रे.नि./07–08 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम सलैया में स्थित भूमि खसरा नं. 228, 291/1, 291/2, 291/3, 282, 283 कुल किता 6 रकबा 1.590 है0 भूमि मध्य प्रदेश के नाम दर्ज थी, जो वर्ष 1989–90 तक अभिलेख में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज रहे है। वर्ष 1990 में पटवारी हल्का द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के उपरोक्त भूमि आवेदक साहिब सिंह पुत्र राम्रपसाद के नाम दर्ज कर दी गयी। इसके पश्चात् आवदेक साहिब सिंह द्वारा उपरोक्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.01.2003 को बगैर सक्षम अधिकारी के अनुमति के विक्रय कर दी गयी क्रेता द्वारा विक्रय में प्राप्त में की गयी भूमि पर अपना नामान्तरण तथा सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के न्यायालय में पेश किया गया।
2. यहकि, उपरोक्त भूमि के संबंध मे प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 33/रि.रूम/2003 दिनांक 11.08.2003 द्वारा सूचित किया गया। कि ... 20 में कॉस के उपर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3462-दो/2015 जिला छतरपुर साहिबसिंह **विरूद्ध** सियाराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 188/स्व.प्रे.निग./2007-08 में पारित आदेश दिनांक 09-08-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-10-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

31.12.18

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य